

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**

पूआईडी संख्या : **UPFS/2026/186561/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/37726/CFO**
दिनांक : **30-01-2026**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **BHAGAT PUBLIC SCHOOL** पता **VILLAGE SAINTHLI,0,GREATER NOIDA** तहसील - **DADRI** प्लॉट एरिया **6526.66 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1745.45** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| SCHOOL BUILDING | 2 | 0 | 07.30 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **BHAGAT PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **13-02-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SANADEEP** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **20-02-2026** से **19-02-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **BHAGAT PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **BHAGAT PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : अग्निशमन अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन NBC-2016 उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 नियमावली-2024 अनुसार एन0ओ0सी0 निर्गत किया जा रहा है 1-अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय। 3-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Pradeep Kumar

4CBB1A74FF15FCECE730717855B25A8D9A117827

20-02-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : **20-02-2026**
स्थान : **GAUTAM BUDDH NAGAR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.